

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री रतन
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 103/24
जीसीएमएस : 2024/415

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.11.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार घासा से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम नानजी पिता भेरा मेगवाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में 50/- रुपये स्टाम्प पर स्वयं प्रार्थी का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत जावड द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 16 दिनांक 04.10.24 प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार घासा द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर नानजी एवं नोजीराम दोनो को एक ही व्यक्ति होना बताया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 49, 50, 71, 72, 175 भूमि में खातेदार नानजी पिता भेरा मेगवाल के बजाय नानजी उर्फ नोजीराम पिता भेरा मेघवाल संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

